भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1733

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2022

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

1733. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी गई मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की श्रेणी-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की श्रेणी-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के करोड़ों आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): इस विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में एससी छात्रों को उपलब्ध कराई गई मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (रुपए करोड़ में)
2017-18	22,82,254	62.82
2018-19	26,30,366	115.40
2019-20	28,09,542	352.89
2020-21	30,53,739	569.03
2021-22	34,79,609	509.34

गत पांच वर्षों में ओबीसी छात्रों को दी गई मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	जारी केंद्रीय सहायता (रुपए करोड़ में)
2017-18	50.94	128.22
2018-19	114.81	121.83
2019-20	94.52	201.57
2020-21	166.20	165.91
2021-22	39.93	218.28

(ख): एससी के मामले में वर्ष 2022-23 से प्रभावी हाल ही में संशोधित 'एससी और अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम' के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि लाभार्थियों को देय राज्य अंशदान जारी हो जाने के बाद विभाग द्वारा केन्द्रीय अंशदान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किया जाएगा। अब तक, शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति के राज्य के हिस्से का भुगतान किए गए लाभार्थियों का सत्यापित विवरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त नहीं हुआ है।

ओबीसी के मामले में, यशस्वी स्कीम वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं, राज्य मूलक शर्तों के अनुसार स्कीम को कार्यान्वित और प्रशासित किया जाता है। छात्रों का चयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। स्कीम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के किसी भी राज्य-वार डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): भाग (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

******